BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL
BENCH AT NAINITAL

Present: Hon'ble Mr. Rajendra Singh

------ Vice Chairman(J)

Hon'ble Mr. A.S.Rawat

-------Vice Chairman(A)

CLAIM PETITION NO. 93/NB/DB/2023

Chandra Shekhar Joshi aged about 77 years, s/o Late Sri Bhudev Joshi, Retired Kamdar, Purvi Rajeev Nagar, Ghodanala, Bindukhata, Lalkuwan, Nainital.

..**……Petitioner**

vs.

1. State of Uttarakhand through Secretary, Agriculture, Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
2. Director, Agriculture, Directorate of Argiculture, Uttarakhand, Dehradun.

…….Respondents

Present: Sri N.K.Papnoi, Advocate for the petitioner
Sri Kishore Kumar, A.P.O. for the respondents

JUDGMENT

DATED: APRIL 16, 2025

HON'BLE SRI A.S.RAWAT, VICE CHAIRMAN (A)

प्रस्तुत याचिका याचिकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की हैः–

क– अलोच्य आदेश दिनांकित 09.11.2022 (निर्देश याचिका संलग्नक–1) को अपास्त करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि याची को उसके सेवा अभिलेखों के आधार पर उसकी सेवानिवृत्त तिथि 30.06.2005 को रू0 4730/– के स्तर पर वेतन निर्धारण करते हुए दिनांक 06.01.1965 से दिनांक 30.06.2005 तक के एरियर का भुगतान एवं पेंशन तथा ग्रेच्युटी को पुर्ननिर्धारित करते हुए संशोधित पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान मय ब्याज एवं एरियर का भी भुगतान करें।

ग– अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे।

घ– याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य निम्न प्रकार हैः–

2.1 याची की नियुक्ति, विभाग में 18.02.1964 को चपरासी के पद पर नियमित एवं पद के सापेक्ष वेतनमान रु0 27–50–32 (नियुक्ति पत्र में वेतनमान रु0 27–50–32 दर्शाया गया है, परन्तु सेवा पुस्तिका में मूल वेतन रु0 22/– एवं वेतनमान 22–1/2–27 अंकित है)। याची को रिक्त पद के सापेक्ष दिनांक 05.12.1964 के द्वारा गोदाम मैन के पद पर वेतनमान रू0 30–1–40 में पदोन्नति प्रदान की गयी एवं प्रार्थी द्वारा बफर गोदाम हल्द्वानी, नैनीताल के पद पर दिनांक 16.12.1964 को योगदान दिया एवं विभाग द्वारा पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1965 में वेतनमान रु0 30–1–40 को पुर्नरक्षित किया गया एवं मासिक वेतन रू0 74/– निर्धारित किया गया परन्तु विभागीय लिपिक की त्रुटि से प्रार्थी को दिनांक 06.01.1965 से रु0 69/–मासिक वेतन निर्धारित कर दिया और यहीं से प्रार्थी का वेतन गलत निर्धारित होता चला गया। सेवानिवृत्त होने के पश्चात, जब प्रार्थी का पेंशन निर्धारण किया जा रहा था तब उसको विभागीय कर्मचारी द्वारा यह जानकारी दी गयी। उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा वर्ष 2010 में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपनी सेवा पृस्तिका की प्रति प्राप्त करेन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। तत्पश्चात् लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उसकी सेवा पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी एवं उसके अवलोकन से प्रार्थी को अपने गलत वेतन निर्धारण की जानकारी प्राप्त हुयी । याची द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों को गलत वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये एवं वेतन को संशोधित करने की मांग की गयी परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा उसकी प्रार्थना को दरकिनार करते हुये अपने लिपिक के गलत वेतन निर्धारण को सही ठहराया।

2.3 शासनादेश संख्या 2799 दिनांक 04.07.1973 के अनुसार दिनांक 01.08.1972 को याची का वेतन गोदाममैन के पद पर वेतनमान 175–250 में निर्धारित मासिक वेतन रू0 184/– होना चाहिये था परन्तु वर्ष 1965 में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप याची का वेतन रु0 171/– पर निर्धारित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.07.1979 के संशोधित वेतनमान रू0 315–440 में दिनांक 01.07.79 को याची का वेतन रू0 351/– होना था जबकि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं0 21 पर याची का वेतन रू0 330/– पर ही निर्धारित किया गया।

2.4 याची द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि कुमाऊ मण्डल हल्द्वानी को दिनांक 28.06.2014 को पुनः एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया वेतन को संशोधन करने की प्रार्थना की गयी । मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.10.2015 के द्वारा कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को आख्या प्रस्तुत करते हुये गलत तथ्यों के आधार पर यह कहा कि याची द्वारा अपने सेवाकाल में विभाग के सभी आदेशों को स्वीकार किया है एवं याची द्वारा कभी भी कोई आपत्ति अपने सेवाकाल में

उक्त संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की है। याची के प्रत्यावेदन दिनांक 28.06.2014 पर कृषि निदेशक के स्तर से कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है एवं उसका प्रत्यावेदन लम्बित रहा है।

2.5 शासनादेश संख्या–2575 दिनांक 23.08.1989 के अनुसार गोदाम मैन पद के वेतमान का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 825–1200 किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी का मासिक वेतनमान दिनांक 01.01.1986 को रू0 950/– पर निर्धारित होना था परन्तु सेवा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 29 पर याची का वेतन रु0 885/– ही निर्धारित किया गया। दिनांक 01.01.1986 के पूर्व याची की गोदाम मेन के पद पर 16 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण होने के कारण उसको इस तिथि से प्रथम पदोन्नत वेतनमान रु0 925–1540 दिया जाना चाहिए था परन्तु इस पदोन्नत वेतनमान से वंचित रखा गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान 2750–4400 में याची का वेतन रू0 3800/– के स्तर पर निर्धारित होना चाहिए था तथा दिनांक 01.01.1996 को याची की गोदाम मेन के पद पर सेवायें 26 वर्ष से अधिक होने के कारण उसको द्वितीय प्रोन्नत वेतन प्रदान करते हुये उसको 3200–85–4900 के आधार पर रु0 3965/–का मासिक वेतन देते हुये सेवा निवृत्त की तिथि दिनांक 30.06.2005 को प्रार्थी का वेतन रू0 4720/– के स्तर पर ही निर्धारित होना चाहिए था परन्तु सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं0 42 पर 4220/– के स्तर पर ही निर्धारित किया गया। याची को उक्त गलत वेतन निर्धारण की जानकारी विभाग द्वारा कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी । प्रार्थी द्वारा बिना देरी किये गये अपने वेतन को संशोधित किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों से प्रार्थना की गयी । परन्तु जब विभाग द्वारा उसके प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो याची द्वारा दिनांक 03.01.2022 को एक प्रत्यावेदन विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को प्रेषित करते हुये उसके सेवा अभिलेखों के आधार पर, उसको उसकी सेवानिवृत्त तिथि 30.06.2005 को रू0 4730/– के स्तर पर वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 06.01.1965 से दिनांक 30.06.2005 तक के एरियर का भुगतान एवं पेंशन तथा ग्रेच्युटी को पुर्ननिर्धारित करते हुये संशोधित पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान मय ब्याज एवं एरियर का भी भुगतान करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

2.6 विभागीय अधिकारियों एवं विपक्षी संख्या 02 द्वारा बिना विपक्षी सं0 01 को विश्वास में लिये मनमाने एवं विधि विरूद्ध निर्णय लेते हुए याची के प्रत्यावेदन दिनांक 03.01.2022 को निरस्त करते हुए पूर्व में निर्धारित वेतन को सही माना। याची द्वारा आदेश दिनांक 09.11.2022 को निरस्त करते हुये उसके सेवा अभिलेखों के आधार पर उसकी सेवानिवृत्त तिथि 30.06.2005 को रू0 4730/– के स्तर पर वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 06.01.1965 से दिनांक 30.06.2005 तक के एरियर का भुगतान एवं पेंशन तथा ग्रेच्युटी को पुर्ननिर्धारित करते हुए संशोधित पेंशन तथा

ग्रेच्युटी का भुगतान मय ब्याज एवं एरियर का भी भुगतान करने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. विपक्षीगण सं0 1 व 2 की ओर से याचीकर्ता के याचिका के उपरोक्त कथनों के विरूद्ध प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया कि:.

3.1 याची के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2022 जो प्रमुख सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है से प्रथम पदोन्नति गोदाम मैन के पद पर वेतनमान 30.1.40 में वेतन निर्धारण कर संशोधित पेंशन एवं ग्रेज्यूटी का भुगतान एवं पुनःनिर्धारित वेतन के ऐरियर के संबंध में प्रार्थना की है, के कम में शासन ने पत्र संख्या 138/XIII-1/2022 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को विषयगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–117 दिनांक 07.04.2022 के परिपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल के कार्यालय पंत्राक–138 दिनांक 25.04.2022 से मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता मे 04 सदस्यो की समिति का गठन किया गया था मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल के पत्र–129 दिनांक 23.04.2022 द्वारा वादी को 25.04.2022 के प्रातः 11:00 समिति की बैठक में समस्त साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। वादी दिनांक 25.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु कृषि अधिकारी कार्यालय में समिति के समक्ष उपस्थित हुए। तदोपरांत वादी के समस्त कथनों एवं अभिलेखों का संज्ञान लेते हुए वादी के प्रत्यावेदन दिनांक 03.01.2022 का निस्तारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। वादी द्वारा दिनांक 01.04.1965 को लिये गये वेतन निर्धारण पर आपत्ति की गयी है, जिसे 58 वर्ष व्यतीत हो चुके है, इसलिए दावा कालातीत होने के कारण याचिका पोषणीय नही है।

3.2 याची की नियुक्ति आदेश संख्या 411 दिनांक 18.02.64 से चपरासी के पद पर तद्समय प्रचलित मूल वेतन 22 पर की गयी थी। वादी वर्ष 1965 में गोदाम मैन वेतनमान 30–1–40 में मूल वेतन रू0 30.00 प्राप्त कर रहे थे। शा0स0 263/10–143/1965 दिनांक 28.02.1966 से पुनरिक्षित वेतनमान 55–1–75 में रू0–69.00 के स्तर पर वेतन निर्धारित किया गया। वादी का यह कथन कि वर्ष 1965 में उनका वेतन रू0 74.00 पर निर्धारित किया गया, परन्तु लिपिकीय त्रुटि से दिनांक– 06.01.1965 को 69.00 पर निर्धारित किया गया, गलत एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। वादी का वेतन तत्समय लागू शासनादेशानुसार निर्धारित किया गया है। शा0 सं0 –263/ दिनांक 28.02.1966 के अनुसार वेतनमान 30–1–40 पुनरीक्षित वेतनमान 55–1–75

में दिनांक 01.04.2965 को वेतन निर्धारित किया गया है। दिनांक 01.04.1965 को वेतनमान 55–1–75 में अगले स्तर पर निर्धारत वेतन–69.00।

3.3 वादी द्वारा शा0 सं0 2799 दिनांक 04.07.1973 के अनुसार गोदाम मैन पद का वेतनमान 175–250 दर्शाया गया है, जबकि उक्त शासनादेशानुसार गोदाम मैन पद का वेतनमान 165–2–185–3–215 है जिस पर वादी का वेतन निर्धारण रू0 171.00 निर्धारित किया गया है जो सही है। वादी द्वारा 01.07.1979 गोदाम मैन पद का वेतनमान 315–440 दर्शाया गया है जबकि शा0 सं0 3438 /12(9)–1858–77 लखनऊ 07.06.1968 के परिशिष्ट में गोदाम मैन का वेतनमान 305–5–330 दं0रो0–6–390 है, जिस पर वादी का वेतन निर्धारण रू0 330 पर निर्धारित किया गया है। जो सही है। शासनादेश सं0 3438/12(9)–1858 –77 लखनऊ दिनांक 07 जून, 1984 के पृष्ठ संख्या 10 क्रमांक 08 में विवरण अंकित है)। मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल द्वारा कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड एवं संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांयु मण्डल, हल्द्वानी को आख्या अभिलेखों के आधर पर प्रेषित की गयी थी, जिस पर संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी ने पत्र संख्या–468 दिनांक 24.07.2014 से वादी को अवगत कराया कि ''शासनादेश संख्या–2799 दिनांक 4.07.1973 द्वारा दिनांक 1.8.1972 से वेतनमान के संशोधन हो जाने के उपरान्त पुनरीक्षित व्यवस्था के तहत 165–215 में याची का वेतन निर्धारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। याची द्वारा उनके पूरे सेवाकाल में उन्हें उनकी सेवापुस्तिका अवलोकित नही करायी गयी एवं सेवारत रहते हुए कभी भी किसी कार्यालय में कोई पत्राचार नही किया गया।

3.4 वादी की प्रथम पदोन्नति चौकीदार से गोदाम मैन के पद पर दिनांक 16.12.1964 को हुई थी। गोदाम मैन वेतनमान 165–2–185–3–215 के पद पर 11 वर्ष 02 माह की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय पदोन्नति कामदार के पद पर वेतनमान 170–2–184–3–205–4–225 में दिनांक 01.03.1976 को हुई। कामदार के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वादी को दिनांक 01.03. 1986 से सैलेक्शन ग्रेड कामदार वेतनमान 775–1025 में प्राप्त कर रहे वेतन 885 के अगले प्रक्रम 899 के स्तर पर निर्धारित किया गया जो सही है। गोदाममैन का पद कामदार के पद से निम्न स्तर का है। कामदार का पुराना वेतनमान 315–440 पुनरीक्षित वेतनमान 775–1025 है वादी का 1.01.1986 को वेतन रू0 885 निर्धारित किया गया है जो सही है। वादी को दिनांक 01.03.1992 को कामदार के पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान 825–15–900–1200 अनुमन्य करते हुए मूल वेतन 983 के अगले प्रक्रम 1000 पर निर्धारित किया गया।

3.5 वादी की मूल नियुक्ति चपरासी के पद पर दिनांक 19.02.1964 को हुई थी तत्पश्चात प्रथम पदोन्नति गोदाम मैन के पद पर दिनांक 16.12.1964 को 9 माह में हुई थी तथा

द्वितीय पदोन्नति दिनांक 01.03.1976 को 11 वर्ष 02 माह की सेवा पर कामदार के पद पर हुई थी। दिनांक 01.03.2001 को कामदार के पद पर वेतनमान 2750–70–3800–75–4400 में 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान 3200–85–4900 में मूल वेतन 3800 के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो सही है। वादी द्वारा अपने वेतन संशोधन की प्रार्थना करते हुए दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 02.11.1998 पर परियोजना अधिकारी (कृषि) नैनीताल ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यालय आदेश संख्या 1264 दिनांक 22.01.2003 से वादी का वेतन दिनांक 01.03. 1976 से 01.03.2001 तक संशोधित कर पुनः निर्धारित किया गया है ।

3.6 वादी द्वारा दिये गये कथनो का सेवापुस्तिका/अभिलेखों/शासनादेशों/कार्यालय अभिलेखों से मिलान नहीं हो रहा है, जिस कारण वादी का कथन मान्य नहीं है। याची मा0 अधिकरण से कोई अनुतोश पाने का अधिकारी न होने के करण याचीगणों की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। मा0 न्यायाधिकरण से प्रार्थना है, कि याचिकाकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. We have heard the Learned Counsel for the petitioner and the Learned A.P.O. and also perused the records.

6. Learned Counsel for the petitioner argued that the petitioner was appointed on the post of peon by the Distt Agriculture Officer, Nainital on 14-10-1964 in the pay scale of Rs. 27-1/2/-32. Although the pay pscale entered in the service book is Rs. 22-1/2-27. The admissible pay scale 27-1/2-32 is mentioned in the order of his appointment for the post of peon and also in the report (pg no 132 Sl. 149 Annexure-7). He was promoted on the post of Godown man in the pay pscale of Rs 30-1-40 on 5/12/1964. His pay was fixed at Rs 69/- as against the admissible pay of Rs 74/-. Herein onwards his pay scale was fixed wrongly at the time of promotion, revision of the pay scales and grant of time scales also. Due to wrong fixation of the pay, petitioner has been subjected to monetary loss. The Learned Counsel

further pleaded to set aside the impugned order and allow the claim petition.

7. Learned A.P.O. argued that the petitioner has never raised any objection regarding wrong fixation of his pay during his entire service. It is assumed that he has accepted the pay scales fixed, time to time in his case. Keeping in view the facts mentioned above, the claim petition is not maintainable and liable to be dismissed.

8. Based on the documents submitted and the arguemnts of the parties, we find that the petitioner was initially appointed on 19-2-64 on the post of peon in the pay scale of 27-1/2-32 (Ann-7, pg 132, sl No 149) but he was actually given the pay scale of 22-1/2/-27, which is recorded in his service book also (Ann-6). He was paid Rs. 22/- as against the admissible pay of Rs 27/-. The committee constituted by the Director, Agriculture to examine and report the facts did not accept the fact that pay of the petitioner mentioned in the service book is wrong. The petitioner was promoted on the post of Godown man after almost 9 months of the service in the pay scale of 30-1-40. His pay scale was revised as 55- 75 (Ann-7 pg 129, Sl No. 100 on 1/6/65 and his pay was fixed on Rs 69/- only (Ann-6). The committee constituted by the department reported that the pay scale of the petitioner has been correctly fixed at Rs 69/- as against the claim of the petitioner Rs 74/-. The committee did not take into consideration the fact that his pay fixation should have been carried out in respect of the pay scale of 27-1/2-32. His pay was fixed according to the pay scale given wrongly rather than the admissible pay scales in the subsequent promotions, revisions of the pay and grant of time scales of pay during the service period. The department is right to counter that during service period, the petitioner never objected to the pay scales being given to him and it is deemed that he has been paid as per the rules and the government orders time to time.

9. The department has looked into the representation of the petitioner and justified that the pay given to the him time to time was

correct. But there is mistake in entering the pay scale of the petitioner in the service book which has been disbursed to him on the post of peon and that led to anomaly in the pay fixation subsequently. This is required to be corrected by the respondents.

10. We hold that initial pay scale on the post of peon should be the admissible pay scale Rs. 27-1/2-32 and subsequent pay fixation to be done on promotions and each stage of revision of the pay scale and grant of time scales etc. The respondents are required to recalculate the admissible pay at each stage and arive at the last pay at the time of retirement accordingly. In case there is difference in the pay at each stage right from the initial appointment till retirement, the difference amount to be paid to the petitioner. Hence, the impugned order dated 09.11.2022 is liable to be quashed and accordingly, the claim petition is liable to be allowed.

ORDER

The claim petition is hereby allowed. The impugned order dated 09.11.2022 is hereby quashed. The respondents are directed to carry out refixation of pay scale of different stages for the entire service period and pay difference of the amount to the petitioner, within three months, on presentation of certified copy of the judgment**.** No order as to costs.

RAJENDRA SINGH
VICE CHAIRMAN (J)

A.S.RAWAT
VICE CHAIRMAN (A)

DATED: APRIL 16, 2025
DEHRADUN
KNP